गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 24.10.2017 को पेश हो।

तहसीलदार
रियांबड़ी
तहसीलदार रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

740
6.10.2017

24/10/2017 पत्रावली आज पेश है। गैर सायल उपस्थित जवाब देने समय चाहा है। न्यायहित में समय दिया जाकर नियत दिनांक 26/10/2017 को पेश हो।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

(अ नि दिवराज)

/10/2017 पत्रावली पेश है। गैर सायल दिवराज उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश किया जो शामिल नस्ती किया पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बोरावड़ ने मौजा अय्यावास के ख.नं. 295/1, 309/1, रकबा 0.10 हेक्टेयर, कमरा 0.10 हेक्टेयर कुल 0.20 हेक्टेयर किस्म भूमि गोचर सड़क एवं गैरमुमकिन पर सम्वत 2074 में दिवराज पुत्र बूरा राम जाति जाट निवासी अय्यावास के विरुद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट सम्वत 2074 में पेश किया है।

(अ नि दिवराज)

जिस पर इस न्यायालय मे राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सायल
के विरूद्ध LRAC 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस
जारी किया गया गैर खातेदार व्यक्ति द्वारा दिनांक
24/10/2017 को उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा
न्यायहित मे समय दिया गया दिनांक 26/10/2017 को
जवाब पेश किया परन्तु राजकीय भूमि ग.मु.रास्ता
ग.मु.गली पर अतिक्रमण करने के कारण अभी कोई आपत्ति
किया जाकर राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के
मौखिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है
एवं आराजी के लगान का पचास गुणा राजस्व
50/- (पचास रूपये मात्र) कायम किये जाते है। पटवारी हल्का
बीजासण को मौखिक बेदखली एवं उसोपित जुर्माना राशि
की वसूली हेतु लिखा जाकर पटावली जुर्माना संग कायमी
हेतु ई-आरएसटी तहसील रिको बड़ी को भेजी जाकर
पटावली के रूप सुधार होकर अमल से कम हो निर्णय
आज दिनांक 26/10/2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया
गया।

तहसीलदार, रिको बड़ी
(बागोर - राजस्थान)